## (ग्रामीण क्षेत्र हेतु)

### खाद्य सुरक्षा अपील आवेदन-पत्र (दस्तावेज साक्ष्य के अभाव में निरस्तनीय होगा)

सं	वा में,								
	श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय / जिला रसद अधिकारी, उपखण्ड								
प्रथम अपील :— खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत समाविष्ट करने हेतु अपील प्रस्तुत करने बाबत। `									
<b>4</b> 16	होदय,		<del></del>			<del> 3</del> .			
उपरोक्त विषयान्तर्गत अपीलार्थी निम्न अपील प्रस्तुत करता है:—  1. अपीलार्थीपुत्र/पुत्री/श्रीमती/श्रींजातीतहसीलपंचायत सिनित									
क. सं.	नाम	माता का नाम	पिता का नाम	मुखिया के साथ संबंध	लिंग	जन्म दिनांक	राशन कार्ड संख्या	यूनिक आई. डी.नं.	भामाशाह कार्ड नं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				स्वयं					
2									
3 4									
5									
	निध	र्जारित किये	गये है, जो	नुरक्षा योजना में ग्र निम्न प्रकार है:— प्राथमिकता श्रेणी		। में समावेश	न हेतु समावेः	शन के पात्रता	संबंधी मापदण्

- 1. अन्त्योदय परिवार
- 2. बीपीएल परिवार
- 3. स्टेट बीपीएल परिवार
- 4. अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
- 5. ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओ में शामिल नहीं है तथा निम्न योजनाओ / वर्गो में शामिल है, उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा:-
- (A) मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना

- (B) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- (C) मुख्यमंत्री एकल नारी योजना
- (D) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- (E) मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना
- (F) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना
- (G) महानरेगा में 2009-10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार
- (H) मुख्यमंत्री निराश्रित पुर्नवास परिवार योजना
- (I) सहरिया एवं कथौड़ी जनजाति परिवार
- (J) भूमिहीन कृषक
- (K) कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर
- (L) सीमान्त कृषक
- (M) वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्त (Exclusion) पात्र नही शर्तो में न आते हो।
- 6. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में लाभान्वित परिवार
- 7. समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण,जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग,अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलो के हॉस्टल)
- 8. एकल महिलाएं
- 9. श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
- 10. पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ट आश्रम
- 11. कचरा बीनने वाले परिवार
- 12. उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार
- 13. साईकिल रिक्शा चालक
- 14. पोर्टर (कुली)
- 15. कुष्ठ रोगी तथा कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति
- 16. घूमन्तु एवं अर्द्धघूमन्तु जातियां जैसे वनबागरिया, गाडियालुहार, भेड़ पालक
- 17. वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी परिवार
- 18. लघु कृषक
- 19. आस्था कार्डधारी परिवार
- 20. अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार विनारण अधिनियम, 1989 तथा संशोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित व्यक्ति
- 4. अपीलार्थी उपरोक्त समावेशन प्राथमिकता श्रेणियो......में अभिलिखित उपवर्ग.....की श्रेणी का व्यक्ति है,जिसके साक्ष्य के रूप में दस्तावेज.....में अभिलिखित संलग्न है।
- 5. राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो हेतु निर्धारित निष्कासन(Exclusion) श्रेणी(पात्र नही) में वर्णित निम्नलिखित छः अपात्रताओं में से कोई अपात्रता अपीलार्थी में नहीं है:—
  - A. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकरदाता हो।
  - B. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी / अर्द्धसरकारी / स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी / अधिकारी हो अथवा एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है।

- C. ऐसे परिवार, जिसके किसी भी सदस्य के पास चारपिहया वाहन हो(ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर, जो जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो।)
- D. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघुकृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो।
- E. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख वार्षिक से अधिक हो।
- F. ऐसे परिवार, जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्गफीट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हो।

### नोट:- निष्कासन के नियम सभी श्रेणियो पर समान रूप से लागू होंगे।

მ.	अतः अपील स्वीकार कर अपीलाथी	के परिवार, जिसका राशन कार्ड स	नंख्याहै को ग्राम
	गाम पंचायत	तहसील	पंचायत समितिपंचायत समिती
	में खाद्य सुरक्षा योजना की	ो समावेशन सुची में समावेशन प्राथ	यमिकता श्रेणी
	का आदेश जारी करावे।(समाव		
		,	
	नोट:- आवेदन पत्र के साथ यदि	आपने अपनी समावेशन श्रेणी का	कोई दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न नही
			तावेज संबंधित विभाग में जमा कराने

संलग्न दस्तावेजो की सूची:-

के लिये अधिकतम 15 दिवस का समय ओर दिया जायेगा।

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

#### हस्ताक्षर अपीलार्थी

नाम—
पिता का नाम–
माता का नाम—
मोबाईल नम्बर–
पता—

# शपथ पत्र/स्वघोषणा

में	पुत्र / पत्नी	श्री		निवासी
करता / करती हूँ कि ख				
जारी अधिसूचना दिनांक	C1		_	
मैं/मेरा परिवार जांच में				
विरूद्ध कानूनी कार्यवाही	की जा सकेगी।			

(हस्ताक्षर अपीलार्थी) दिनांक :

दिनाक : स्थान :

## राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन-पत्र की जांच रिपोर्ट (ग्रामीण)

(1)	आवेदक का नाम:					
٠,	पता (डाक का पूर्ण पता):					
	¥ 0 16					
	आवेदन के साथ संतर्ग दस्तावेज प्रकृतिकमांकजारी दिनांकविभागवि					
<sup>(ु</sup> <b>ह.सं.</b>		र्ता हस्ता				
P.VI.		tii 64tii				
	ऐसे परिवार जिसका कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं हो					
	ऐसे परिवार जिसका कोई एक सदस्य सरकारी / अर्धसरकारी / स्वयातशासी संस्थाओं में नियमित					
	कर्मचारी/अधिकारी हो अथवा एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त नहीं करता हो					
	ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन नहीं हो (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यक वाहन					
	को छोड़कर जो की जिविकोपार्जन के उपयोग में आता हो)					
	ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक					
	न हो					
	एक लाख वार्षिक आय से अधिक सीमा वाले परिवार नहीं हो					
	ऐसा परिवार जिसके पास शहरी क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का					
	मकान न हो					
नोट:	:- जाँच बिंद् 1 से 3 व 5 से 6 की जाँच ग्राम सेवक द्वारा होगी   और जाँच बिन्दू 4 की जाँच पटवारी द्वारा की जायेगी   f	 बेन्द के				
	मने जांचकर्ता स्वयं के हस्ताक्षर अंकित करे	~				
1.	प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत समावेशन हेतु दस्तावेज चैक लिस्ट से जाँच की गयी प्रार्थी खाद्य सुरक्षा की श्रेणी	में				
	नाम जोड़ने की पात्रता रखता है					
	पात्रता की जाँच की गयी प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुरूप पात्रता सही नहीं पायी गयी   अत: प्रार्थी का आवेदन जां	य बिन्द				
	संख्या के अनुरूप पात्र नहीं होने के कारण ख़ारिज किया जाने की स्पष्ट अभिशंषा की जाती है	^				
हल्क	का पटवारी ग्राम सेवक					
नाम:	म:-					
मो.न						
मोहर						
प्रेषित श्रीमान उपखण्ड अधिकारी						
जिला						
विषय	ाय:- खाद्य स्रक्षा प्रार्थना-पत्र की जांच कर रिपार्ट भिजवाने बाबत					
महोट						
3	उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है की प्रार्थी पुत्रजातिकी पात्रता की जांच संयुक्त टीम	À				
करवायी गयी   आवेदक खाद्य सुरक्षा की श्रेणी मेंनाम जोड़ने हेतु पात्र पाया गया है  अत: नाम जोड़ने की स्पष्ट अभिशंषा						
	की जाती है					
		0 \ 0				
आवेदक खाद्य सुरक्षा की श्रेणीमें जो आवेदन किया गया था सयुंक्त टीम द्वारा जांच में आवेदक खाद्य सुरक्षा की श्रेणी						
में पात्र नहीं होने के कारण आवेदक का प्रार्थना-पत्र ख़ारिज करने की स्पष्ट अभिशंषा की जाती है।						
तहर्स	विकास अधिकारी					

पंचायत समिति